हेल्पलाईन नम्बरः कार्यालय – 0522–2206184
अमित श्रीवास्तव – 7839435242
पंकज मौर्या – 7839434995

काष्ठ आधारित उद्योगों के नये लाइसेंस हेतु सफल आवेदकों द्वारा 04 वर्ष की फीस जमा करने एवं स्वीकृति पत्र अपलोड करने की प्रक्रिया का विवरण।

समस्त सफल आवेदकों को लाइसेंस हेतु लेटर आफ आफर निर्गत किये जा चके है। उक्त आवेदकों द्वारा नये लाइसेंस हेतु 04 वर्ष के भुगतान की कार्यवाही दिनांक 07.01.2019 से 06.02.2019 की रात्रि 12 बजे तक (अर्थात भुगतान प्रारम्भ होने की तिथि 07.01.2019 से 01 माह) की जा सकेगी। भुगतान के साथ ही आवेदक द्वारा स्वीकृति पत्र अपलोड किया जाना होगा।

आवेदकों द्वारा 04 वर्ष की फीस जमा करने एवं स्वीकृति पत्र अपलोड करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है–

1. आवेदक वन विभाग के वेब पोर्टल (https://upfd.in/wbi) पर Login करें।
2. आवेदक Login Tab पर जाकर अपने User id एवं Password के माध्यम से आवेदक पैनल को खोलें।
3. Status Tab पर क्लिक करें।
4. New License Tab पर क्लिक करें।
5. आवेदक जिन–जिन कैटेगरी में सफल हुआ है उन सबका विवरण प्रदर्शित होगा।

   (एक से अधिक कैटेगरी में सफल होने की दशा में आवेदक अपनी इच्छा के अनुसार किसी एक कैटेगरी में लाइसेंस प्राप्त कर सकेगा)
6. आवेदक अपने इच्छा के अनुसार इच्छित श्रेणी के विवरण को क्लिक करें।
7. इच्छित श्रेणी के विवरण में Download Tab पर जाकर Acceptance Letter को क्लिक कर उसको डाउनलोड कर ले एवं उसका प्रिन्ट निकाल ले।
8. Acceptance Letter के प्रिन्ट पर वांछित सूचनायें भरें। इसमें आवेदक द्वारा इच्छित श्रेणी को इंगित करना तथा जिस जनपद में इकाई की स्थापना की जानी

है, सम्बन्धित सूचनायें भरें। Acceptance Letter को आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर स्कैन (Scan) कर PDF File बना ले।

9. Choose and Upload tab में जाकर जिस जनपद में इकाई स्थापित करना चाहते है उसका चयन करें। इसी प्रकार एक से अधिक श्रेणी में सफल आवेदकों द्वारा जिस श्रेणी में आवेदक लाइसेंस लेने का इच्छुक है उस श्रेणी को चयनित करें।

10. जनपद का चयन, श्रेणी का चयन करें एवं क्रम संख्या–8 के अनुसार Acceptance Letter की PDF File को अपलोड (Upload) करें। **आपके द्वारा चयनित जनपद एवं काष्ठ आधारित उद्योग की श्रेणी Final होगी। Form Submit करने के पश्चात इनमें किसी तरह का परिवर्तन नही किया जा सकेगा।**

11. उक्त सूचनाओं को Confirm करें।

12. Confirm करने के पश्चात 04 वर्ष की फीस जमा किया जाने की कार्यवाही हेतु Submit and Pay tab में Click कर भुगतान की कार्यवाही करें। आपके द्वारा आपकी इच्छित श्रेणी में कुल 05 वर्ष की देय धनराशि, आपके द्वारा आवेदन करते समय भुगतान की गई धनराशि एवं 04 वर्ष की बकाया धनराशि का विवरण Payment Pannel पर दिखाई देगा। बकाया भुगतान के अतिरिक्त बैंक के Transaction Charges आवेदक द्वारा भुगतान किया जायेगा।

13. Submit and Pay tab में Click करें। भुगतान हेतु Bank of Baroda के Payment gateway खुलेगा, जिसके माध्यम से आवेदक Credit Card/Debit Card/ Internet Banking आदि द्वारा भुगतान किया जा सकेगा। भुगतान की कार्यवाही करें।

14. बैंक द्वारा भुगतान की पुष्टि किये जाने के तत्काल बाद आवेदक पैनल पर भुगतान की पुष्टि की सूचना दी जायेगी।

15. किसी भी प्रकार की जानकारी एवं समस्या हेतु आवेदक निम्न दूरभाष नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सकता है–

- कार्यालय – 0522–2206184
- अमित श्रीवास्ताव – 7839435242
- पंकज मौर्या – 7839434995